न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पीलीभीत।
आर0सी0सी0 संख्या–02/2018

लईक अहमद बनाम वुन्दन अंसारी।

दिनांक–11.09.2019

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत। प्रार्थनापत्र 4क पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र कागज सं0–4क मय शपथपत्र 5क प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी धारा–30 (1) यू0पी0 शहरी भवन अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रश्नगत दुकान स्थित मोहल्ला मदीना शाह, तहसील, शहर व जनपद पीलीभीत जिसकी चतुर्दिक सीमाएं पूरब मकान बुन्दन अंसारी प्रतिपक्षी, पश्चिम रास्ता गली, उत्तर मकान बुन्दन अंसारी प्रतिपक्षी एवं दक्षिण पक्की सड़क को मु0–625/–रूपये प्रतिमाह का किरायेदार है और विपक्षी उसका स्वामी है। विपक्षी ने माह दिसम्बर 2017 तक का किराया प्राप्त किया। परन्तु कोई रसीद वादी को प्रदान नही गयी। इसके बाद विपक्षी ने किराया लेने से इन्कार कर दिया। प्रार्थी द्वारा माह जनवरी 2018 एवं माह फरवरी 2018 तक का 2 माह का किराया मनी आर्डर द्वारा विपक्षी के पते पर भेजा जिसे विपक्षी ने लेने से इन्कार कर दिया। अतः किराया जमा करने की अनुमति चाही गयी है।

विपक्षी न्यायालय में उपस्थित हुआ। परन्तु उसको पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी उसके द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नही की गयी।

प्रार्थी द्वारा सूची 7ग से एक किता रसीद, मनी आर्डर कागज सं0–8ग/1, दो किता रसीद इंकारी कागज सं0–8ग/2 तथा एक किता छायाप्रति कर निर्धारण रसीद कागज सं0–10ग प्रस्तुत किये गये हैं।

पत्रावली मय प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी ने स्वयं को विपक्षी का किरायेदार होने का कथन किया है तथा इस सम्बन्ध में कर निर्धारण रसीद कागज सं0–10ग संलग्न की है। प्रार्थी ने यह भी कथन किय है कि विपक्षी प्रश्नगत दुकान का किराया नही ले रहा है और मनी आर्डर प्रस्तुत करने पर भी नही लिया। इस कारण प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपना किराया जमा करना चाहता है। चूंकि प्रार्थी अपने जोखिम पर किराया जमा करना चाहता है तो प्रार्थी को किराया जमा करने की अनुमति उसके जोखिम पर दिये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थनापत्र 4क स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अपने जोखिम पर किराये की धनराशि जमा करने हेतु स्वतंत्र है। वाद तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

सिविल जज जूनियर डिवीजन,
पीलीभीत।
11.09.2019